भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 778
मंगलवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा की संभावनाएं</u>

778. श्री कीर्तिकेय शर्मा: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2050 तक भारत में बिजली के उत्पादन में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा की अपेक्षित हिस्सेदारी कितनी होगी;

(ख) क्या सरकार ने इस लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस कार्य योजना के प्रमुख घटक क्या है; और

(ङ) वर्ष 2050 तक सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोमास से विद्युत के उत्पादन हेतु परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ): कॉप-26 में माननीय प्रधान मंत्री की घोषणा के अनुसरण में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वर्ष 2030 तक नॉन-फॉसिल स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित विद्युत क्षमता और वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में कार्य कर रहा है।

दिनांक 31.10.2022 की स्थिति के अनुसार, देश में नॉन-फॉसिल फ्यूल आधारित ऊर्जा स्रोतों से कुल 172.72 गीगावाट क्षमता स्थापित की गई है। इसमें 119.09 गीगावाट अक्षय ऊर्जा, 46.85 गीगावाट बड़ी पन-बिजली और 6.78 गीगावाट न्यूक्लियर विद्युत क्षमता शामिल है। दिनांक 31.10.2022 की स्थिति के अनुसार, यह देश में कुल स्थापित उत्पादन क्षमता का 42.26% हिस्सा अर्थात 408.71 गीगावाट है।

इसके अलावा, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने वर्ष 2029-30 के लिए अनुमानित अखिल भारतीय पीक विद्युत मांग और विद्युत ऊर्जा आवश्यकता क्रमशः 325 गीगावाट और 2256 बिलियन यूनिट के साथ उत्पादन विस्तार अध्ययन कराया है (प्रारूप 20वें ईपीएस अनुमान के अनुसार)। अध्ययन से पता चलता है कि क्षमता सम्मिश्रण में अक्षय ऊर्जा आधारित स्थापित क्षमता (बड़ी पन बिजली सहित) का हिस्सा वर्ष 2029-30 तक बढ़कर लगभग 480 गीगावाट होने की संभावना है। देश के उत्पादन सम्मिश्रण में अक्षय ऊर्जा (बड़ी पन बिजली सहित) का हिस्सा, जो मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार लगभग 22% है, वर्ष 2029-30 तक बढ़कर लगभग 41% हो जाने की संभावना है।

सरकार ने नॉन-फॉसिल स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित क्षमता हासिल करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ शामिल हैं:

- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत की अनुमति देना (एफडीआई) प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 100,
- जून 30, राज्य -तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत की अंतर 2025 राज्-बिक्री के लिए अंतरय पारेषण प्रणाली शुल्कों को माफ करना (आईएसटीएस),
- वर्ष 2029-30 तक अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता के लिए ट्रैजेक्ट्री की घोषणा करना (आरपीओ),
- अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की व्यापक स्तर पर स्थापना करने के लिए अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना हेतु अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को भूमि और पारेषण उपलब्ध कराना,
- प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), सौर रूफटॉप चरण-II, 12000 मेगावाट सीपीएसयू योजना चरण-I आदि जैसी योजनाएं,
- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के तहत नई पारेषण लाइनें बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता तैयार करना,
- सौर फोटोवोल्टेक प्रणालियोंउपकरणों की स्थापना के लिए मानकों को अधिसूचित करना/,
- निवेशों को आकर्षित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना विकास एकक की स्थापना करना,
- ग्रिड संबद्ध सौर पीवी परियोजनाओं और पवन विद्युत परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली के लिए मानक बोली दिशानिर्देश,
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र लेटर ऑफ क्रेडिट)– एलसीया (अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।
- हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियमावली, 2022 के जरिए अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की अधिसूचना जारी करना,
- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामला) नियमावली (एलपीएस नियमावली)" को अधिसूचित करना,
- अक्षय ऊर्जा विद्युत की एक्सचेंज के माध्यम से बिक्री को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से ग्रीन टर्म अहेड मार्केट की शुरुआत की गई। (जीटीएएम)
